



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

## निविदा क्रमांक                   दिनांक

निविदा की शर्तें :

आवश्यक टिप्पणी:

निविदादाता को निविदा में अपनी दर देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए:

1. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र /बिड डॉक्यूमेंट मिलने की (डाउनलोड करने की) समयावधि :-  
02.06.17 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 04.07.17 पूर्वान्ह : 11:00 बजे तक
2. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र /बिड डॉक्यूमेंट मिलने की (अपलोड करने की) समयावधि :-  
02.06.17 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 04.07.17 अपरान्ह : 01:00 बजे तक
3. ऑनलाइन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय :-  
04.07.17 दिनांक अपरान्ह : 02:00 बजे I वित्तीय बिड खोलने की तिथि अलग से सूचित की जायेगी।

निविदा दाता द्वारा प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति माह की दर ईप्रोक्योरमेंट वेबसाईट पर ऑनलाईन उपलब्ध निविदा सूचना की वित्तीय बिड (बीओक्यू-एक्सेल शीट ) में निम्न प्रकार से ही भरी जाकर निविदा अपलोड की जावे।

प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति माह की दर मय मजदूरी, पीएफ, ईएसआई, सेवाकर, संवेदक का प्रीमियम एवं अन्य समस्त प्रभार सहित	..... रुपये
--	-------------

क्रमांक	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरने योग्य कॉलम
1	निविदादाता/कम्पनी का नाम, स्थायी पता एवं दूरभाष/मोबाइल नम्बर	
2	पत्राचार हेतु पूरा पता	
3	धरोहर राशि/ निविदा शुल्क/आर आई एस एल को देय f  उमांड झाफ्ट संख्या, बैंक का नाम, शाखा व दिनांक	



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

4	फर्म पूर्व में कभी ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं की गई है एवं फर्म के विरुद्ध पूर्व में कभी पुलिस कार्यवाही नहीं की गई है, न ही माननीय न्यायालय द्वारा कभी दंडित किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई विजिलेंस जॉच लंबित है। इस बाबत सौ रूपये कि स्टाम्प पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।	(शपथ-पत्र अपलोड करें)
5	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर , ईएसआई रजिस्ट्रेशन, पीएफ रजिस्ट्रेशन/रीजनल प्रोविडेंट ऑफिस द्वारा जारी प्रोविडेंट फण्ड नंबर / राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लैबर एक्ट के तहत जारी लाईसेंस/ रोजगार निदेशालय द्वारा सेवाओं की प्रदायगी हेतु प्रदत्त लाईसेंस , पैन कार्ड, वाणिज्यिक कर चुकता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।	(साक्ष्य अपलोड करें)
6	गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर	(साक्ष्य अपलोड करें)
7	गत तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र	(साक्ष्य अपलोड करें)

- 1 निविदादाता महानिदेशक पुलिस, निदेशालय नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा से जारी लाईसेन्सधारक होना चाहिए तथा तकनीकी बिड में बिड डाटा शीट, बिड डोक्युमेंट के साथ लाईसेंस की प्रमाणित प्रति संलग्न कर अपलोड करनी अनिवार्य है।।
- 2 निविदा सूचना में वर्णित पात्रता पूरी करने वाले योग्य बोलीदाता ही तकनीकी बिड (प्रि-क्वालीफिकेशन) में सफल माने जावेंगे तथा उन्हीं की वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड (प्रि-क्वालीफिकेशन ) में योग्य नहीं पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी।
- 3 निविदादाता को जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य हेतु प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति 8 घंटे की पारी के लिए प्रतिमाह की दर का अंकन BOQ में करना होगा।
- 4
- 5 वर्तमान में 50 बिन्दुओं पर सुरक्षा प्रहरी की आवश्यकता है जिसे किसी भी समय घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसका भुगतान प्रतिबिन्दू प्रति 8 घंटे की पारी की निर्धारित दर से उसी अनुरूप कम या ज्यादा किया जावेगा।
- 6 राजकीय विश्वविद्यालय/राजकीय बोर्ड/शिक्षा बोर्ड समकक्ष शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं में कार्य करने वाली फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी।



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

- 7 फर्म द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सुरक्षा प्रहरी अपेक्षाकृत युवा (50 वर्ष तक) के होने चाहिये। फर्म द्वारा दर अनुमोदन उपरांत उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरियों की विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा मापदंडों के सन्दर्भ में स्क्रीनिंग होने पश्चात उनके द्वारा सेवाएं प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्धारण किया जाएगा। तदनुसार प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी को एक परिचय पत्र जिस पर सुरक्षा प्रहरी का नाम, उम्र, गाँव, आधार कार्ड नंबर तथा मोबाइल नंबर आदि विवरण अंकित हो फर्म द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसका आकस्मिक निरक्षण विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। उक्त परिचय पत्र के अभाव में कार्यरत सुरक्षा प्रहरी पर ₹. 50/- प्रति सुरक्षा प्रहरी की शास्ति आरोपित की जायेगी। फर्म द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरी वार्षिक निविदा के अंतर्गत सामान ही रहेंगे परन्तु अपरिहार्य स्थिति में निविदा दाता विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति लेकर उस सुरक्षा प्रहरी को परिवर्तित कर सकेगा।
- 8 अनुमोदित सेवा प्रदाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे सुरक्षा प्रहरी का नाम पता, मोबाइल/टेलीफोन नम्बर की स्व-प्रमाणित सूची कार्य शुरू करने की दिनांक को ही अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवानी होगी तथा CHECK IN - CHECK OUT आधार पर स्वयं की bio-metric मशीन लगाकर दैनिक उपस्थिति करवाने की व्यवस्था करेगा तथा चाहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को दैनिक प्रिंट उपलब्ध करवाएगा। प्रत्येक भवन के भवन प्रभारी द्वारा सुरक्षा प्रहरी की 8 घंटे की संतोषजनक सेवा का प्रमाणन करने के पश्चात ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
- 9 सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कोई भी सुरक्षा प्रहरी 3 दिवस से अधिक बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है या कोई सुरक्षा प्रहरी कार्य छोड़ता है तो उसके स्थान पर 24 घण्टे के भीतर दूसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना होगा।
- 10 सेवा प्रदाता द्वारा जॉब कार्य हेतु प्रदान किए गए सुरक्षा प्रहरी को विश्वविद्यालय के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए किसी भी स्थान पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
- 11 सुरक्षा प्रहरी को समय समय पर केंद्र/राज्य सरकार आदि के अंतर्गत देय न्यूनतम पारिश्रमिक/वेजज, सवैतनिक अवकाश एवं अन्य वैधानिक भुगतान सेवा प्रदाता को ही करना है तथा सभी प्रकार के टैक्स, आयकर व अन्य लागू कर के भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। उक्त भुगतानों के सम्बन्ध में किये गए भुगतान के दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा चाहने पर उपलब्ध करवाने होंगे।
- 12 वर्तमान में सुरक्षा कार्य एक वर्ष के लिए है इसके पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो 6 माह अथवा नवीन निविदा अनुमोदित होने तक (दोनों में जो भी पहले हो) के लिये आगे और बढ़ाया भी जा सकता है, यदि अनुमोदित प्रदाता इसमें असमर्थता प्रकट करता है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त होगी तथा यह कार्य अनुमोदित प्रदाता की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता की दर पर या अन्य से खुले बाजार में प्रचलित दर पर करवाया जायेगा, जिसकी अंतर राशि अनुमोदित प्रदाता से वसूल की जायेगी।
- 13 सेवा प्रदाता अनुबंधित अवधि में सेवा प्रदाय करने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सिक्योरिटी/परफोर्मेंस राशि जब्त करते हुए सेवा प्रदाय का आदेश/अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सेवा प्रदाय ऐजेन्सी की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता से प्राप्त दर पर उससे या अन्य ऐजेन्सी से प्रचलित बाजार दर पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विभाग द्वारा ले ली जायेगी जिसके समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाय ऐजेन्सी की होगी।



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

- 14 सेवा प्रदाता द्वारा समय पर सुरक्षा प्रहरी को उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति की वसूली प्रति शिफ्ट राशि का 110 प्रतिशत के आधार पर कार्यालय द्वारा मासिक बिल से वसूल की जावेगी।
- 15 उपलब्ध करवाये गए सेवाओं हेतु रखे गए सुरक्षा प्रहरी राज्य/केन्द्र सरकार, उनके अधीनस्थ विभागों द्वारा निर्धारित पी एफ, ई एस आई एवं अन्य कोई राशि देय होती है वह सेवाप्रदाय ऐजेन्सी ही चुकाया करेगी, । उक्त भुगतानों के सम्बन्ध में किये गए भुगतान के दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा चाहने पर उपलब्ध करवाने होंगे ।
- 16 जॉब कार्य प्रदान करने वाले सुरक्षा प्रहरी का कार्य असंतोषजनक होने पर उसे तुरन्त हटाना होगा तथा इसके स्थान पर दूसरा सुरक्षा प्रहरी तत्काल/ अधिकतम एक दिवस में उपलब्ध करवाना होगा ।
- 17 सेवा प्रदाता उपलब्ध करवाये गए सुरक्षा प्रहरी का चाल—चलन, चरित्र अच्छा होना चाहिए, इनके द्वारा किए गए किसी भी कत्य की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी ।
- 18 जॉब कार्य हेतु उपलब्ध सुरक्षा प्रहरी को निर्धारित गणवेश, कैप, बैटरी, लाठी, परिचयपत्र व अन्य आवश्यक सामान सेवा प्रदाता को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाना होगा । कार्यालय द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा । प्रतिदिन निरीक्षण में जितने सुरक्षा प्रहरी बिना गणवेश के होंगे उसके लिए प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रतिदिन 50 रुपए की कटौती सेवा प्रदान के मासिक बिल से की जावेगी ।
- 19 उपलब्ध करवाये गए सुरक्षा प्रहरी में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाय ऐजेन्सी की होगी, जिसकी नियमानुसार क्षतिपूर्ति भी ऐजेन्सी द्वारा की जाएगी ।
- 20 सेवा प्रदाता द्वारा दी जा रही सेवाओं के बिल प्रत्येक माह की 1 तारीख को संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में होगा । सेवा प्रदाता को पंजाब नेशनल बैंक , विश्वविद्यालय शाखा में प्रथक रूप से खाता खुलवाना होना । निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय में अपना एक सुपरवाईजर लगाना होगा, जो कि नियमित रूप से सुरक्षा प्रहरी की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखेगा तथा प्रतिदिन कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत समय – समय पर विश्वविद्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । सुपरवाईजर का खर्चा निविदा दाता द्वारा ही वहन किया जायेगा ।
- 21 ठेकेदार को ठेका मिलने के उपरांत विश्वविद्यालय में एक अंडरटेकिंग (100 रुपए के नॉन ज्युडिशिअल स्टेप पेपर पर) अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी कि सुरक्षा प्रहरी को नियमानुसार राशि सीधे सुरक्षा प्रहरी के बैंक खाते में जमा कराकर कार्य का बिल प्रतिमाह प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।
- 22 अनुमोदित सेवा प्रदाता सुरक्षा प्रहरी को भुगतान चैक से करेगा । कोई शिकायत प्राप्त होने या विवाद पर किये गये भुगतान का विवरण नाम/चैक नम्बर आदि कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे ।
- 23 प्रस्तुत किए गए बिलों से वैद्यानिक कटौतियों टीडीएस व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी ।
- 24 समस्त कानूनी दायित्व सेवा उपलब्ध करवाने वाली सेवा प्रदाय ऐजेन्सी की होंगे विभाग का इस बाबत् कोई दायित्व नहीं होगा ।
- 25 जॉब कार्य हेतु अनुमोदित राशि का प्रतिमाह भुगतान सेवा प्रदाता को ही कार्यालय द्वारा किया जावेगा । जॉब कार्य में लगे सुरक्षा प्रहरी किसी प्रकार का भुगतान दावा कार्यालय से मौगने के अधिकारी नहीं होंगे ।



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

- 26 केन्द्र/राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ विभाग द्वारा न्यूनतम दरों में कमी/वृद्धि करते हैं तथा अन्य कोई कर/कटौती लागू की जाती है तो अनुमोदित ऐजेन्सी उसी अनुरूप स्वयं कार्यवाही/लागू करेगी, इसमें कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा। सेवा प्रदाता करने वाली संस्था द्वारा प्रीमियम की ही दर दी जानी चाहिए।
- 27 सेवा प्रदाता/सेवाएं किसी अन्य को सबलेट/हस्तान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं करेगा, यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध/आदेश को बिना किसी सूचना के रद्द/निरस्त कर दिया जावेगा।
- 28 सफल निविदा दाता को 5000/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध एसआर-17 पर करना होगा। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे कार्य की कुल राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति जमा राशि के रूप में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा, जो कार्य संतोषजनक पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय के पास जमा रहेगी तथा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने पर धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा अन्य पार्टी से कार्य करवा लिया जावेगा एवं विश्वविद्यालय को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दोषी फर्म को करनी होगी।
- 29 अर्नेस्टमनी ,निविदा शुल्क तथा ई-निविदा शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 30 प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तों को मानने या न मानने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
- 31 एस.एस.आई. से पंजीकृत फर्मों को धरोहर राशि 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिभूति राशि 1 प्रतिशत नियमानुसार जमा करानी होगी। यह छूट तभी देय हागी जब निर्देशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के तत्संबंधी कार्य के पंजीकरण आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- 32 समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में बीकानेर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी, अन्य न्यायालय पर नहीं।
- 33 क्रयादेश अनुबंधों की शर्तों को “भंग” करने या संविदा के असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति धनराशि जब्त करा ली जावेगी इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध को बिना कोई कारण बताये भी निरस्त किया जा सकेगा परन्तु ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी।
- 34 किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने, किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने एवं निविदत्त मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक में वितरित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 35 समस्त विधि वाद की जिम्मेदारी संबंधित सेवा प्रदाता की होगी।
- 36 इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्त एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 37 बिड को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा किसी भी समय बिड को बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार माननीय कुलपति के पास सुरक्षित हैं। सामान्य शर्तों में माननीय कुलपति द्वारा छूट दी जा सकेगी।
- 38 निविदा ई-प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई-प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी। व वित्तीय बिड इसी साइट उपलब्ध वित्तीय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी होगी। वित्तीय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना है। भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

---

39 विश्वविद्यालय की वेबसाइट व [Sppp](#) पोर्टल पर भी निविदा डाउनलोड/अपलोड नहीं की जा सकेगी। उक्त दोनों वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गये हैं।

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक**



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

## निविदादाता की घोषणा

फर्म को समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा फर्म महानिदेशक पुलिस, निदेशालय नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर से लाईसेंस धारक हैं। जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रोविडेंट फंड, ई एस आई, सेवा कर, पैन कार्ड, वैट चुकता प्रमाण पत्र, टिन नंबर आदि दस्तावेज संलग्न अपलोड कर दिए हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर एवं दिनांक



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक—“अ”

## सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, —

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

## हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

---

- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कस्टौटी और बोली प्रश्नों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक "द"

## निविदा की अतिरिक्त शर्तें

### 1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी ।

### 2. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे ।

#### परिमाण में परिवर्तन का अधिकार—

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी ।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी —



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. . अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन।—

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर फूंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

## अनुलग्नक “स”

### निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

- यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

- अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्रीध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
- यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
- धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा।  
अर्थात्:
  - क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण
  - ख बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
  - ग. यह विनिश्यक की निबंधनों में बातचीत की जाये या नहीं
  - घ. निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण
  - ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

- अपील का प्ररूप।**— (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथारिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

## 5. अपील फाइल करने के लिए फीस.—

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

## 6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.—

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथारिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथारिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
  - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
  - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील

का ज्ञापन

..... की अपील सं. .....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) ..... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियाँ :

- (i) अपीलार्थी का नाम :.....  
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :.....  
(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके

विरुद्ध अपील की गयी है और

अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम,

जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि

संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के

उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी

विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे

अपीलार्थी व्यक्ति है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा

प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता

है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों

और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

(शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : .....

स्थान : ..... तारीख : .....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर



# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक "ब"

## निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते हैं कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान : .....

तारीख : .....

निविदादाता के हस्ताक्षर